

## कार्यालय भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल

विज्ञापन क्रमांक 2437 / राजस्व / भोविप्रा / 25

भोपाल, दिनांक 24/12/2025

भोपाल विकास प्राधिकरण के अन्नपूर्णा कॉम्प्लेक्स योजना में प्रकोष्ठ का विक्रय निम्न तालिका में वर्णित होकर ऑन लाईन वेबसाईट [https:// vikaspradhikaran.mponline.gov.in](https://vikaspradhikaran.mponline.gov.in) के माध्यम से ऑफर दि 01-01-26 से दि 21-01-26 तक आमंत्रित किये जाते हैं। निर्धारित अवधि में प्राप्त ऑफर/आवेदन पत्र दि 22-01-26 को खोले जायेंगे।

निम्न सम्पत्ति का विस्तृत विज्ञापन प्राधिकरण की वेबसाईट [www.BDA.org.in](http://www.BDA.org.in) पर देखा जा सकता है।

क्र०	प्रकोष्ठ/ ईकाईयों का विवरण	प्रकोष्ठ/ ईकाईयों का उपयोग	क्षेत्रफल वर्गमीटर	आरक्षण की श्रेणी अदि आरक्षित हो	प्रकोष्ठ/ ईकाईयो का आरक्षित मूल्य राशि रू०	पट्टे लीज पर या भूमि स्वामी अधिकारों पर व्ययन	पट्टे लीज के प्रकरण में वार्षिक भाडा रू० प्रति प्रकोष्ठ	अमानत की राशि मूल्य की 10 प्रतिशत राशि
1	प्रकोष्ठ क्र०-ई 412 चतुर्थ तल	आवासीय	100.00	सामान्य	30,00,000/-	लीज पर	452/-	3,00,000/-

- 1-प्रकोष्ठ के आवेदन एवं आवंटन पत्र में नियम एवं शर्तें संलग्न रहेगी। आवेदन में उल्लेखित शर्तों का आवेदन को पालन करना अनिवार्य होगा।
- 2-शासन तथा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियम एवं शर्तें पंजीयनकर्ताओं / आवंटियों को मान्य करना अनिवार्य होगा।
- 3- प्राधिकरण द्वारा मूलभूत सुविधा दी जावेगी।
- 4-प्रकोष्ठ के विक्रय के पश्चात किसी भी प्रकार का विकास कार्य प्राधिकरण के द्वारा नहीं किया जायेगा।
- 5-किसी भी प्रकार का वाद / विवाद की स्थिति में माननीय अध्यक्ष महोदय भोविप्रा भोपाल का निर्णय मान्य होगा।
- 6-समिति शुल्क सेवा प्रभार पृथक से देय होगा।
- 7-प्रकोष्ठ का स्थल पर निरीक्षण कर प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

सम्पदा अधिकारी,  
भोपाल विकास प्राधिकरण,  
भोपाल